UJVNL

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग,"उज्ज्वल",महारानी बाग,जी0एम0एस0 रोड, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, " Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 14001

LETTER NO:M-1273/UJVNL/05/Director HR/DGM(P)/M-3 **DATED- 29/05/2024**

कार्यालय ज्ञापन

एतत्द्वारा मानव संसाधन विभाग, यूजेवीएन लि0 के का0ज्ञा0सं0 503/UJVNL/05/DIRECTOR HR/DGM (P)/M-3 DATED 06.05.2020 द्वारा नेत्र रोगों के उपचार हेतु राशि रु0 30,000.00 मात्र से अधिक की राशि के Procedure के सापेक्ष यूजेवीएन लि0 से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा, विषयक आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुए नेत्र रोगों के उपचार हेतु निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार पूर्वानुमति प्रदान की जायेगी:–

1. किसी कार्मिक द्वारा सी0जी0एच0एस0 2014 की दर सूची में उल्लिखित **NON NABH** अस्पताल हेतु राशि रु0 **16,581.00** मात्र **(Lens/Implant** सहित) एवं **NABH** अस्पताल हेतु राशि रु0 **18,198.00** मात्र **(Lens/Implant** सहित) से अधिक की राशि के **Procedure** चिकित्सक के अनुसार अत्यन्त आवश्यक होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक को यूजेवीएन लि0 मुख्यालय से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए कार्मिक को उचित माध्यम से चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण/परामर्श पत्र एवं आंकलन **(Estimate)** संलग्न करते हुए यूजेवीएन लि0 मुख्यालय को प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए आवेदन करना होगा, जिसकी पूर्वानुमति प्रदान किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदय को होगा।
2. सी0जी0एच0एस0 2014 की उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक दरों के सापेक्ष **CATARACT** से सम्बन्धित समस्त प्रकार के नेत्र रोगों के उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय को अधिकतम राशि रु0 90,000.00 मात्र **(Lens/Implant** सहित) तक सीमित किया जाता है, उक्त से अधिक के चिकित्सा व्यय को कार्मिकों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
3. चिकित्सालय द्वारा **Implant** की **Invoice** चिकित्सालय बीजक के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित अन्य संगत नियम/आदेश पूर्व की भांति यथावत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

Letter No:M-1273/UJVNL/05/Director HR/DGM(P)/M-3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/(वि०/या०)/(वित्त)/(ओ०एण्डएम०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।**
6. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
8. **उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।**
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी (उ0म0प्र0स्तर), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।

29/05/24
(राजेन्द्र सिंह)
अधिशासी निदेशक (मा०सं०)